भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1505

23 सितम्बर, 2020 के लिए प्रश्न

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का कार्यान्वयन

1505 श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) योजनाओं की संख्या कितनी है और इसमें से केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित और राज्य सरकारों को सिफारिश की गई योजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) उन राज्यों की संख्या कितनी है जिन्होंने इन योजनाओं को पूरी तरह या आंशिक रूप से अंगीकृत कर लिया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण स्कीम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यह स्कीम किसी पहचान किए गए क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन की तैयारी संबंधी कुछ शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन शुरू की जा सकती है। इस नियम के अंतर्गत, पहचान किये गए क्षेत्र को किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके लिए इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार की लिखित सहमति हो। अत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह वैकल्पिक है कि वे खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण स्कीम कार्यान्वित करें अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार उचित दर दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण जारी रखें।

(ख): खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण स्कीम का कार्यान्वयन चंडीगढ़ और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से और संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है।

****